

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1941 (श0) (सं0 पटना 1127) पटना, सोमवार, 30 सितम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 30 सितम्बर 2019

अधिसूचना संख्या 21/2019 - राज्य कर (दर)

एस॰ ओ॰ 367 दिनांक 30 सितम्बर 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार—राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या 555, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी में,-
 - (क) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्दों और कोष्ठक "बीस लाख रुपए (किसी विशेष प्रवर्ग राज्य की दशा में दस लाख रुपए)" के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठक और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-"इतनी राशि जितने से कि वे बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अंतर्गत पंजीकरण से छूट प्राप्त करने के पात्र हों"
 - (ख) क्रम संख्या १क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा. यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9कक	अध्याय	भारत में आयोजित होने वाली	शून्य	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा
	99	FIFA U-17 महिला विश्व कप,		कार्यक्रम और खेल मंत्रालय यह
		2020 के अंतर्गत किसी भी समारोह		प्रमाणित कर दे कि ये सेवाएं
		में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः		प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः
		फेडरेशन इंटरनेशल डी फुटबाल		FIFA U-17 महिला विश्व
		एसोसिएशन (FIFA) और इसके		कप, 2020 के अंतर्गत आने
		सहायक संगठनों के द्वारा या इनको		वाले समारोह से संबंधित हैं।";
		प्रदान की जाने वाली सेवाएं ।		

- (ग) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द "कम" के पश्चात शब्द "या के बराबर" को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (घ) क्रम संख्या 19क के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक "2019" के स्थान पर अंक "2020" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ङ) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक "2019" के स्थान पर अंक "2020" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (च) क्रम संख्या २४क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24ख	शीर्षक	अनाज, दालें, फल, नट्स और सब्जियां, मसाले,	शून्य	शून्य";
	9967	कोपरा, गन्ना, गुड, कच्चे वनास्पति रेशे जैसे कि		
	या	कपास, फ्लैक्स, जूट आदि, नील, गैर विनिर्मित		
	शीर्षक	तंबाकू, पान के पत्ते, तेंदू के पत्ते, काफी और		
	9985	चाय के भंडारण या वेयरहाउसिंग के माध्यम से दी		
		जाने वाली सेवाएं		

(छ) क्रम संख्या २९क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"29ख	शीर्षक	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (गृह मंत्रालय के अंतर्गत)	शून्य	शून्य";
	9971	समूह बीमा कोष के द्वारा संबंधित केंद्रीय सशस्त्र		
	या	पुलिस बल की सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत		
	शीर्षक	अपने सदसयों को जीवन बीमा से संबंधित दी गई		
	9991	या दिए जाने के लिए अनुबंधित सेवाएं		

(ज) क्रम संख्या 35 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में प्रविष्टि (थ) के पश्चात शब्द "(द) बंग्ला सस्य बीमा" को अंतःस्थापित किया जाएगाः

(झ) क्रम संख्या 45 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में जहां-जहां शब्द और कोष्ठक "बीस लाख रुपए (किसी विशेष प्रवर्ग राज्य की दशा में दस लाख रुपए)" आए हों, वहां-वहां उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंक को प्रतिस्थापित किया जाएगा. यथा:-

"इतनी राशि जितने से कि वे बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अंतर्गत पंजीकरण से छूट प्राप्त करने के पात्र हों"

(ञ) क्रम संख्या 82 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा. यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82क	शीर्षक	FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020 के	शून्य	शून्य";
	9996	अंतर्गत आयोजित होने वाले समारोह में प्रवेश के		
		अधिकार देने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं		

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी ।

[(सं॰ सं॰ बिक्री—कर/जीएसटी/विविध—21/2017 (खंड—7)21)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डाॅ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

30 सितम्बर 2019

एस० ओ० 367, दिनांक 30 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

> [(सं० सं० बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017 (खंड—7)21)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 30th September 2019 Notification No. 21/2019- State Tax (Rate)

S.O. 367, Dated 30th September 2019—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 12/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 555, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (i) in the Table, -
 - (a) against serial number 7, in the entry in column (3), for the words and brackets, "twenty lakh rupees (ten lakh rupees in case of a special category state) in the preceding financial year", the following words, brackets and figures shall be substituted, namely, –

"such amount in the preceding financial year as makes them eligible for exemption from registration under the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017)";

(b) after serial number 9A and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
"9AA	Chapter	Services provided by and to	Nil	Provided that Director	
	99	Federation Internationale de		(Sports), Ministry of Youth	
		Football Association (FIFA)		Affairs and Sports certifies	
		and its subsidiaries directly		that the services are directly	
		or indirectly related to any of		or indirectly related to any	
		the events under FIFA U-17		of the events under FIFA	
		Women's World Cup 2020 to		U-17 Women's World Cup	
		be hosted in India.		2020.";	

- (c) against serial number 14, in the entry in column (3), after the word 'below', the words 'or equal to' shall be inserted;
- (d) against serial number 19A, in the entry in column (5), for the figures "2019", the figures "2020" shall be substituted;
- (e) against serial number 19B, in the entry in column (5), for the figures "2019", the figures "2020" shall be substituted;
- (f) after serial number 24A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24B	Heading	Services by way of storage or	Nil	Nil"
	9967	warehousing of cereals, pulses,		
	or Heading	fruits, nuts and vegetables, spices,		
	9985	copra, sugarcane, jaggery, raw		
		vegetable fibres such as cotton, flax,		
		jute etc., indigo, unmanufactured		
		tobacco, betel leaves, tendu leaves,		
		coffee and tea.		

(g) after serial number 29A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"29B	Heading	Services of life insurance provided or	Nil	Nil";
	9971 or	agreed to be provided by the Central		
	Heading	Armed Police Forces (under Ministry of		
	9991	Home Affairs) Group Insurance Funds		
		to their members under the Group		
		Insurance Schemes of the concerned		
		Central Armed Police Force.		

- (h) against serial number 35, in the entry in column (3), after the entry (q), the words "(r) Bangla ShasyaBima" shall be inserted;
- (i) against serial number 45, in the entries in column (3), for the words and brackets "twenty lakh rupees (ten lakh rupees in case of special category states) in the preceding financial year", wherever they occur, the following words, brackets and figures shall be substituted, namely, –

"such amount in the preceding financial year as makes them eligible for exemption from registration under the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017)";

(j) after serial number 82 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely: -

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ſ	"82A	Chapter 9996	Services by way of right to admission to the	Nil	Nil";
			events organised under FIFA U-17 Women's World Cup 2020.		

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2019.

(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-7) 21)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1127-571+10-डी0टी0पी0।

Website:1http://egazette.bih.nic.in